तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म ... में जारी ...
14.5.19	पत्रावली पेश हुई P.O. ज्ञा. बोर्ड पधारे हैं हैं अब पत्रावली पुर्नानुसार दिनांक 11.6.19 को पेश हो।	
11.6.19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पत्रावली मे पालना रिपोर्ट प्राप्त नही तहसीलदार बेगू को पुन: पत्र लिखा जाकर पालना चाही जावे। पत्रावली पालना हेतु दि. 25.6.19 को पेश हो।	
25.6.19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पत्रावली तहसीलदार बेगूं द्वारा पत्रावली में फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई पत्रावली आइन्दा वास्ते बहस बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 16.7.19 को पेश हो	
16/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली मे तहसीलदार बेगूं द्वारा उनके पत्रांक 574 दिनांक 14/6/19 के साथ मोका पर्चा रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की है। मोका पर्चा अनुसार वादी बागा पिता सूरजा गुर्जर द्वारा जाहिर किया गया कि मुझ वादी व प्रतिवादीगण के मध्य समझौता हो जाने से इस दावा पत्रावली मे बटवारा की कार्यवाही नही कराना चाहते है। वादी द्वारा बटवारा नही कराये जाने से दावा पत्रावली इसी स्टेज पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। 16/7/19	

सत्यमेव जयते

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

कार्यालय तहसीलदार बेगूँ जिला–चित्तौडगढ (राज0)

क्रमांक/राजस्व/2019/574
प्रेषिति;–

दिनांकः–14/06/2019

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
बेगूँ

विषय : फर्द बंटवारा की पालना रिपोर्ट प्रेषित बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय बेगूँ के प्रकरण संख्या 55/14 अनवान बागा बनाम श्रीमति सोहनीबाई वगैरा की पालना में ग्राम चौहानो का नयागांव प0ह0 सामरियाकला के आ.न. 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,50,51,52,53,54,55,56,57,58,63,69 कुल किता–24 रकबा 4.46 है0 मे वादी का हिस्सा 16/450 का विभाजन किये जाने का अदेश हुए। जिसकी पालना में भू.अ.नि. काटुन्दा द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को मौखिक सूचना के मौके पर उपस्थित हुए मौके पर वादी ने अवगत कराया कि में अब उक्त आराजीयात में विभाजन नही कराना चाहता हुँ। जिसका पर्चा मौका तैयार किया गया है।

अतः मुल ही भू.अ.नि. काटुन्दा की रिपोर्ट मय पर्चा मौका संलग्न कर श्रीमान की सेवामे सादर प्रेषित है।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार

172
17/6/19

तहसीलदार
तहसीलदार
बेगूँ, जिला–चित्तौड़गढ़
बेगूँ

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट मु० अ० नि० कांडा

सेवामें, दि० 11/6/19

श्रीमान उपजिलाधिकारीमहोदय बेरीनाग

द्वारा :- श्रीमान तहसीलदार बेरीनाग

विषय :- दावा सं० 55/14 अन्तर्गत धारा 53 RTA उनवान बोरा बनाम श्रीमती लोहनी आदि वगै०

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन दावा सं० 55/14 उनवान बोरा बनाम श्रीमती लोहनी आदि वगै० में ग्राम चौहानों कानपा गांव प०म०सामरिपा के खा०नं० 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 69, कुल किता-24 रकबा .546 है० में वादी का हिस्सा 16/450 का विभाजन किये जाने का आदेश हुआ। जिसकी पालना में वादी एवं प्रतिवादी को मौखिक सूचना के मौके पर उपस्थित हुआ। मौके पर वादी उपस्थित मिला। एवं अवगत कराया कि मैं अब उक्त आराजियात में विभाजन नहीं कराना चाहता हूँ। जिसका पर्चा मौका तैयार किया गया जो इसी पत्र के साथ संलग्न है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है।

संलग्न :-
पर्चा मौका

Rev
Gr
14/6

(हस्ताक्षर)

पर्चा मौका पाइदास्त मौजा- चौहानों का नयागांव

दि० 11/6/19

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधि०) बहरोड़ के न्यायालय में विचाराधीन दावा नं० 55/14 अन्तर्गत धारा 53 R.T.Act. उनवान बागा बनाम श्रीमति सोहनीबाई में ग्राम- चौहानों का नया गांव के खा० नं० 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 69 कुल किता- 24 कुल रकबा 4-446 हैक्टेयर भूमि में वादी का हिस्सा 16/450 का विभाजन करने का आदेश होने से वादी एवं प्रतिवादी को मोबाईल से पूर्व सूचना के मौके पर उपस्थित हुआ।

मौके पर उपस्थित वादी श्री बागा पि० सुरजीया गुर्जर उपस्थित मिला। एवं अवगत कराया कि मैंने भूमि के विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत किया गया। परन्तु अब हमारे आपस में समझौता होने से अब मैं भूमि का विभाजन नहीं कराना चाहता हूँ।

पर्चा मौका बादमुनासिब उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर लिये गये।

11/6/19
ILR

11.6.19
पटवारी
[illegible]

नि. बागा

उदयलाल

[illegible]

अमरचन्द

नि. [illegible]